अमित कुमार पाण्डेय, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

अति आवश्यक
बाढ़

पत्रांक:SHSB/PM/526/2018/P-II/..............

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार।
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक......................

विषय: संभावित बाढ़ एवं सुखे की स्थिति के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित प्रबंधन के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-311(11) दिनांक 04.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में बाढ़ एवं उससे जलजनित महामारी एवं दस्त/अतिसार की रोकथाम, आपात की स्थिति में समुचित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा औषधियों की निरन्तर उपलब्धता बनाये रखने हेतु स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-311(11) दिनांक 04.05.2026 द्वारा निदेश निर्गत किए गये है। साथ हीं, आप अवगत हैं कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में विगत वर्षो में सूखे की समस्या भी दृष्टिगोचर होती रही है।

2. सूखे से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएँ एवं संभावित बाढ़ की विभीषिका की अवधि में जन मानस को आवश्यकतानुरूप समुचित चिकित्सकीय सुविधा समयानुसार उपलब्ध हो, इस हेतु प्रभावित क्षेत्रों में विशेष चिकित्सकीय व्यवस्था का प्रबंध करने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई किया जाये:-

A. सुखाड़ से उत्पन्न समस्याओं की तैयारी:-

(i) सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में श्वसन संबंधी रोग जैसे तीव्र ब्रोंकाइटिस, ब्रोन्कोन्यूमोनिया, विटामिन और खनिज की कमी जैसे पोषण संबंधी विकार एवं त्वचा रोग की संभावना रहती है। अतएव तीव्र दस्त, आंत्र ज्वर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि, सांप एवं कुत्ते के काटने, त्वचा रोग आदि की रोकथाम एवं उपचार हेतु प्रबंधन के साथ-साथ सभी प्रकार के अनिवार्य औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।

B. बाढ़ पूर्व तैयारी:-

(i) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के वैसे स्वास्थ्य केन्द्रों को चिन्हित कर लिया जाये, जो प्रति वर्ष बाढ़ के कारण प्रभावित होते है एवं इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य सेवायें बाधित हो जाती है। ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये वैकल्पिक, सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पूर्व से चिन्हित कर लिया जाये, ताकि बाढ़ के दौरान इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्बाध रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जा सके।

(ii) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में **(क) गर्भवती मातायें** जिनका प्रसव बाढ़ अवधि के दौरान होना संभावित है **(ख) नवजात शिशु** जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता हो, **(ग) दिव्यांग** एवं **गंभीर रूप से बीमार** ऐसे मरीज जिन्हें स्वास्थ्य संस्थानों में रेफरल की आवश्यकता हो **(घ) ऐसे क्षेत्र जहाँ महामारी का संकेत हो**, का आशा कर्याकत्ताओं एवं ए०एन०एम० द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कर Line Listing कराया जाये।

(iii) **औषधि:-** बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सामुदायिक/प्राथमिक/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर आवश्यक औषधियों की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। स्वास्थ्य केन्द्रवार आवश्यक औषधियों की उपलब्धता का अद्यतन प्रतिवेदन क्षेत्रीय अपर

निदेशक कार्यालय एवं सिविल सर्जन कार्यालय पर संधारित किया जाये। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा समुचित निदेश निर्गत किये गये है।

(iv) **चलंत चिकित्सा दलः**-बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की स्थितियों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार चलंत चिकित्सा दल एवं स्वास्थ्य शिविर का गठन कर लिया जाय। इन चिकित्सा दलों में चिकित्सक, नर्स, ए०एन०एम० एवं अन्य पारा चिकित्सा कर्मी शामिल रहेंगें। चलंत चिकित्सा दल, आपदा प्रबंधन विभाग एवं NDRF/SDRF के समन्वय से नावों की सहायता से दूरस्थ क्षेत्रों तक भ्रमण करेंगे। बाढ़ में चिकित्सकीय कार्य के लिए नावों के परिनियोजन हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्थानीय अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय कर Dedicated Boat की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगें।

C. **बाढ़ के दौरान के कार्यः**

(i) बाढ़ के पूर्व चिन्हित किये गये **गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों एवं आशक्त वर्गो का NDRF/SDRF की सहायता से आबादी निष्क्रमण (Evacuation) हेतु समुचित व्यवस्था रखी जाये।**

(ii) बाढ़ के दौरान सुरक्षित प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं की पूर्व से तैयार सूची के अनुसार प्रसव की संभावित तिथि समीप रहने वाली गर्भवती माताओं की निगरानी कर सभी संभव प्रबंध करते हुये संस्थागत प्रसव, चिकित्सा दल के पर्यवेक्षण में कराया जाय तथा प्रसव की जटिलताओं से बचने हेतु आवश्यक चिकित्सकीय सुविधायें भी उपलब्ध करायी जाय।

(iii) बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ अस्थायी मातृत्व केन्द्र/स्तनपान हेतु स्थल एवं आवश्यकतानुसार सहायता/सलाह केन्द्र स्थापित किये जायें।

(iv) बीमारियों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन स्वास्थ्य विभागीय प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र- 'ए', 'बी' एवं 'सी' में संकलित कर राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी, IDSP, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को ई-मेलः ssobihar@gmail.com एवं अपर निदेशक (आपदा), स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

D. **बाढ़ के पश्चात के कार्यः**

(i) बाढ़ का पानी घटने और जलजमाव के पश्चात मलेरिया, डेंगू के अतिरिक्त कालाजार इत्यादि के रोकथाम हेतु आवश्यक दवाओं/कीटनाशक दवाओं तथा ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना (लाइम) के मिश्रण का छिड़काव की जाये।

3. उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित निदेशों एवं जिला पदाधिकारी के समन्वय से स्थानीय स्तर पर तैयार किये गये कार्य-योजना का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अमित कुमार पाण्डेय)

ज्ञापांकSHSB/PM/526/2018/P-II/...1186....... पटना, दिनांक 29/05/2018

प्रतिलिपि :

- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रोग नियंत्रण सहित)/श्री मनीष रंजन, सहायक निदेशक, औषधि-सह-नोडल पदाधिकारी DVDMS/स्टेट इपीडेमोलॉजिस्ट, IDSP, राज्य स्वा० समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
- सभी संबंधित उप-औषधि नियंत्रक/सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि निरीक्षक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वा० समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- डा० संस्कृति सिन्हा बरियार, अपर निदेशक (आपदा), स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। निदेश है कि सभी जिलों के सिविल सर्जन से समन्वय कर उपरांकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए एवं राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी से नियमित रूप से संपर्क कर विहित प्रपत्रों में जिलों से वांछित सूचनायें प्राप्त कर उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जाए।

27/5/2026

कार्यपालक निदेशक

226

सं०सं०–11/आ0प्र0(विविध)–01/2024–311.....(11)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

छिरिङ. वाई. भूटिया (भा०प्र०से०)
अपर सचिव,

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी सिविल सर्जन, बिहार

पटना, दिनांक– 04/05/2026

विषयः– **वर्ष–2026 के संभावित बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जलजनित महामारी की रोकथाम के तैयारियों हेतु अनुदेश।**

प्रसंगः– **सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक–997/आ०प्र०, / दिनांक–09.04.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, आप अवगत है कि राज्य में हर वर्ष मानसून अवधि के दौरान कई जिलों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। राज्य में 29 बाढ़ प्रवण जिलों में से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिलों की श्रेणी में आते है साथ ही कई अन्य जिले भी बाढ़ से प्रभावित होती है। इन अति बाढ़ प्रवण जिलों एवं बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ से जान–माल की क्षति के अलावे कई तरह की जल जनित बीमारियाँ भी फैलती हैं जो महामारी का रूप ले सकती है। इसकी रोकथाम के लिये आवश्यक है कि पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जायें जिससे कि बीमारियों का फैलाव नहीं हो एवं यदि हो जाय तो उसका समुचित उपचार एवं नियंत्रण किया जा सके।

2. बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित बीमारियों की समस्या से निपटने हेतु बाढ़ प्रवण जिलों के साथ–साथ गैर बाढ़ प्रवण जिलों में भी बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाढ़ आपदा तैयारी के अपेक्षित बिन्दु निम्नांकित हैं–:

(क) सामान्यः–

1. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक महामारी रोक–थाम समिति गठित है, जिसमें उप विकास आयुक्त/पुलिस अधीक्षक/ सिविल सर्जन/ खाद एवं उपभोगता सरक्षण विभाग/ जिला आपदा प्रबंधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं।

2. यह समिति अपने जिले में बाढ़/जल–जमाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के सम्भावित क्षेत्रों का पूर्ण के अनुभव के आधार पर चिन्हित करेंगी एवं वहाँ पर त्वरित तरीके से उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करेगी तथा इसके लिए प्रचार–प्रसार के माध्यम का भी इस्तेमाल करेगी।

(ख) बाढ़ पूर्व तैयारियों का अभ्यास :–

बाढ़ तैयारी के संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों/गैर सरकारी संगठनों के साथ Mock Exercise/ Mock drill का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाय।

Shweta 30/4/26

(ग) निरोधात्मक :–

शुद्ध पेयजल आपूर्ति:–

1. ऐसे सभी पेयजल श्रोतों की पहचान मॉनसून पूर्व (माह मई–जून) में कर ली जाय जिसे जनसाधरण व्यवहार में लाते हो। इस हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी/ कर्मी की सहायता प्राप्त की जा सकती हैं।

2. पेयजल श्रोत बाढ़ के पानी/जल–जमाव से प्रभावित होते हैं, अतः उस क्षेत्र के पीने के पानी का शुद्धिकरण, छोटे श्रोतों के लिए क्लोरीन टिकिया (हैलोजेन टिकिया) एवं बड़े श्रोतों के लिए ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से किया जाए।

3. विगत वर्षों के अनुभव से बाढ़ के पश्चात् जल–जमाव की स्थिति में मच्छरों के प्रकोप बढ़ने से डेंगू/मलेरिया/ कालाजार इत्यादि महामारी का फैलाव बहुत तेजी से होती है। जिससे काफी संख्या में जनसमूह के अक्रान्त होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जिला मलेरिया पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रभावित क्षेत्रों में डी0डी0टी0 का छिड़काव एवं फॉगिंग कार्य सुनिश्चित करायेंगे तथा संबंधित कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में सतत् निगरानी हेतु तैनात रखेंगे।

4. जिला/प्रखंड के स्वच्छता निरीक्षक पेयजल की गुणवता बनाए रखने के लिए पानी के नमूनों का संग्रह करेंगें तथा उसकी जाँच सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से प्रमण्डलीय प्रयोगशाला/चिकित्सा महाविद्यालय अथवा लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में करायेंगे।

5. पेयजल संकट से निबटने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत **"पेय जलसंकट हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया"** में वर्णित निर्देशो का भी अनुपालन किया जा सकेगा। जो आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के वेवसाईट–www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) <u>चिकित्सा दलों का गठन</u> :–

1. जिला स्तर/प्रखंड स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा दलों का (चलन्त/स्थायी/अस्थायी) गठन होगा जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/परिचारिका/पारा मेडिकल एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी रहेंगें जो सिविल सर्जन के द्वारा नामित किए जायेंगे तथा चिकित्सा दल को प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर सिविल सर्जन द्वारा भेजें जायेंगे।

2. बाढ़ के पश्चात प्रभावित क्षेत्रों मे जल–जनित रोग से काफी जनसंख्या ग्रसित होती है जिसमें अतिसार से ग्रसित व्यक्तियों के समय पर उपचार न होने से मृत्यु भी हो जाती हैं। प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनसाधारण को यह अवगत कराया जाय कि वे प्रभावित क्षेत्रों की सूचना, चौकीदार/पंचायत के सदस्य/स्वास्थ्यकर्मी/सिविल सर्जन/स्थानीय थाना/पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। सिविल सर्जन तथा उस क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि चिकित्सा दल तुरंत प्रभावित स्थल पर भेजेंगे एवं महामारी नियंत्रण करेंगे।

(च) <u>दवाओं की उपलब्धता</u> :–

1224

1. विगत वर्षो के अनुभव के आधार पर बाढ़/महामारी से निपटने हेतु जिला से प्रखंड स्तर तक दवाओं की उपलब्धता का आकलन कर तैयारी सुनिश्चित कर ली जाय।

2. बाढ प्रभावित क्षेत्रों में जल जनित बीमारियों यथा डायरिया आदि की रोकथाम हेतु ओ0 आर0 एस0 एवं एन्टीडायरियल संबंधित आवश्यक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर लें इन दवाओं के अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टेबलेट, ए0एस0भी0एस0 (ASVS) एवं ए0आर0भी0 (ARV) काभंडारण सुनिश्चितकर लेंगे। ये सभी Essential Drugs में शामिल है। इन सभी दवाओं के लिए ससमय अधियाचना BMSICL, जो दवा क्रय हेतु नोडल एजेंसी है, को भेज दी जाए और जिन दवाओं की आपूर्ति BMSICL द्वारा नहीं की जा सकती हो, उन्हें स्थानीय स्तर पर नियमानुसार क्रय कर भंडारित करना सुनिश्चित करें। बाढ़ के पूर्व आवश्यक दवाओं की मात्राओं का आकलन करते हुए दवाओं का क्रय दवा ईकाई मद/NHM की निधि में उपलब्ध आवंटन से करेंगे। प्राप्त दवाओं को यथा शीघ्र सभी अस्पतालों सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

3. बाढ़ के समय /बाढ़ के पश्चात् कुत्ता एवं सियार काटने की घटनायें होती रहती है। यह अनुभव रहा है कि स्थानीय स्तर पर कुत्ता/सियार काटने की उपचारात्मक दवा उपलब्ध नहीं रहने/ कमी के कारण कठिनाई होती है। अतः एन्टीरेबीज दवा भी नियमानुसार, आवश्यकता का आकलन कर भंडारण कर ली जाय।

(छ) उपचारात्मकः—

1. सर्पदंश से आक्रान्तों की मृत्यु समय से उपचार न होने पर हो सकती है। जल—जमाव/बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जमीन के छिद्र में पानी प्रवेश कर जाने से साँप बाहर आ जाते है जिससे सर्पदंश की घटनाएँ बढ़ जाती है, इसलिए सुनिश्चित कर लें कि सभी अस्पतालों में ए0एस0भी0एस0 की दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। लेकिन सभी सर्पदंश घातक नहीं होते हैं, अतः चिकित्सा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्पदंश की दवाईयों का उपयोग वे आवश्यकतानुसार करेंगे।

2. नवजात शिशुओं के लिए नियमित टीकाकारण भी बाधित नहीं हो, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे एवं गर्भवती महिलाओं की पहचान पूर्व से ही कर ली जाय एवं इसके लिए डिलिवरी कीट एवं अन्य व्यवस्थाएं पूर्व में ही कर लेंगे।

3. पूर्व के अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा कुपोषण केन्द्र, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, सेनेटरी किट इत्यादि के सम्बन्ध मे भी विशेष रूप से योजना बना लिया जाय।

(ज) अस्थाई अस्पताल एवं नौका औषधालय की व्यवस्थाः—

1. जिन क्षेत्रों में महामारी फैल गई है और प्रभावितों की संख्या ज्यादा है, वहा पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उप केन्द्र, स्कूल, पंचायत भवन आदि में अस्थायी अस्पताल खोला जायेगा। वहाँ पर यह अस्थायी अस्पताल तबतक चलते रहेंगे जबतक महामारी पर नियंत्रण नहीं हो जाता है, और वहाँ पर सभी कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्यरत रहेंगे।

Shweta 30/4/26

2. उन क्षेत्रों में जहाँ पर गाँव/कस्बा, जल जमाव या बाढ़ से घिर जाते हैं, सड़क सम्पर्क टूट जाता है, उन प्रभावित क्षेत्रों में जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नोका पर औषधालय खोला जायेगा और यह प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करेंगा। नौका पर औषधालय जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी, ए0एन0एम0 और पारा मेडिकल कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवा एवं सामग्री की व्यवस्था रहेगी, जिसे सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा। दवा और सामग्री की कमी होने पर एक दिन पहले नौका आषधालय के चिकित्सा पदाधिकारी दवा और सामग्री की आअपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पताल से अनुरोध कर प्रापत कर लेंगे। संबंधित जिला पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि नौका पर औषधालय हेतु नाव एवं नाविक उपलब्ध करायेंगे।

(झ) **प्रशासनिक व्यवस्थाः–**

1. जिलाधिकारी को विभिन्न श्रोतों से महामारी के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, उन सूचनाओं पर सिविल सर्जन का यह दायित्व होगा कि गठित चिकित्सा दल को उस स्थान पर आवश्यक उपचार हेतु भेजेंगे।
2. महामारी की रोकथाम तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार आदि के लिए जिलाधिकारी/सिविल सर्जन किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी को अप्रभावित जगहों से हटा कर प्रभावित जगहों पर महामारी की रोक–थाम हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे। ऐसे प्रतिनियुक्त चिक्त्सिा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी तबतक प्रतिनियुक्त स्थान पर बने रहेंगे। जबतक कि महामारी पर नियंत्रण नहीं कर लिया जाता है।
3. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित एवं कार्यरत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/ कर्मचारी को बाढ़ के समय अवकाश देय नहीं होगा, यदि कोई चिकित्सा पदाधिकारी/ कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक है तो वह अवकाश की स्वीकृति सिविल सर्जन के अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे। बाढ़ के समय में कोई चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षेत्र से अनुपस्थित रहेंगे तो यह गम्भीर कदाचार माना जाएगा एवं उन पर इसके लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।
4. जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन को यह अधिकार दिया जाता है कि महामारी की रोक–थाम एवं नियंत्रण करने में यदि अतिरिक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता हो, तो वे चिकित्सा महाविद्यालयों से कनीय चिकित्सक/स्नातकोत्तर के चिकित्सक तथा पारा मेडिकल एवं स्वास्थ्य कर्मी की सेवाऍं अधीक्षक/प्राचार्य से प्राप्त कर सकते हैं और वे महामारी खत्म होने तक सिविल सर्जन के अधीन प्रतिनियुक्त माने जायेंगे।
5. चिकित्सा संस्थान/सभी चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल में चलन्त पैथोलॉजिकल दल गठित की जायगी जो निकटवर्ती जिलों में बाढ़ के समय महामारी उद्धभेदन के स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करेगी। विशेष परिस्थिति में राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान, (RMRIMS) अगमकुआँ, पटना से भी संबंधित पदाधिकारी सम्पर्क बनाये रखेंगे।
6. पूर्व के अनुभव के आधार पर दवाओं एवं उपकरणों को सुरक्षित रखने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे, जिससे क्षति से बचा जा सके।

(ट) अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षणः–

1. क्षेत्रीय अपर निदेशक/सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महामारी के समय में प्रभावित क्षेत्रों का सघन भ्रमण एवं स्वास्थ्य संबंधी किए जा रहे कार्यो का निरीक्षण एवं समीक्षा करते रहेंगे और इसके नियंत्रण हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त/ जिलाधिकारी से सहयोग प्राप्त करेंगे।

2. प्रत्येक जिला में बाढ़ की अवधि तक जिलाधिकारी के अधीनस्थ एक बाढ़ नियंत्रण अनुश्रवण कोषांग का गठन होना है। उसी प्रकार सिविल सर्जन के अधीन भी बाढ़ की अवधि तक अनुश्रवण कोषांग का गठन होगा, जिसमें प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी पाली के अनुसार कार्यरत रहेंगे।

3. महामारी/बीमारी से प्रभावितों की संख्या/ कुल मृतकों की संख्या एवं दवाओं/उपकरणों की उपलब्धता आदि की सूचना विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कर प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/स्वास्थ्य निदेशालय/राज्य स्वास्थ्य समिति को दूरभाष/ ई–मेल फैक्स से संसूचित किया जाएगा। जल जमाव/बाढ़ के समय होने वाले बीमारियों के बारे में इस निर्देशिका के साथ संलग्न प्रपत्र फार्म–'ए', फार्म–'बी' एवं–फार्म 'सी' में वर्णित विवरणी के अनुसार संकलन कर प्रतिवेदन अनुश्रवण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे साथ ही दैनिक अद्यतन स्थिति की सूचना उपरोक्त को ई–मेल *ssosbihar@gmail.com* पर भेजना सूनिश्चित करेंगे।

4. बाढ़ के समय स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अस्पताल भवन/उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते है। इस संदर्भ में संबंधित सिविल सर्जन की यह जिम्मेवारी होगी कि वे इसकी समीक्षोपरांत आकलन करायेंगें भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण कितनी क्षति हुई एवं उसके जीर्णोद्धार के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है। साथ ही सिविल सर्जन संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल से प्राक्कलन बनवाकर विभाग को भेजें। सुलभ प्रसंग हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत **"बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया"** में वर्णित निर्देशो का भी अनुपालन किया जाएगा। यह आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के बेवसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ठ) **राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्तर पर :–**

1. किसी भी तरह की सूचना या मार्गदर्शन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना में स्थापित राज्य नियंत्रण कक्ष के **टौल फ्री दूरभाष संख्या–'104'** से सम्पर्क स्थापित किया जाय तथा ई–मेल आई0डी0 **ssobihar@gmail.com** पर सूचना भेजी जा सकती है।

2. राज्य IDSP पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार /राज्य के जिलों से महामारी के समय में प्रभावितों/मृतकों की संख्या/दवा एवं सामग्री की अद्यतन स्थिति प्राप्त करेंगे एवं जिलों से सतत् सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे साथ ही विभाग स्तर पर अवस्थित आपदा प्रबंधन कोषांग को अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगें। इस कोषांग का दायित्व होगा कि

(221)

प्राप्त प्रतिवेदन से अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार को प्रतिवेदन सर्मपित करेंगें।

3. निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार वे सभी निर्णय लेंगे, जो बाढ़ से उत्पन्न महामारी के रोक–थाम के लिए आवश्यक प्रतीत हो ।

विश्वासभाजन

Bhutia 30/4/20

(छिरिङ.वाई. भूटिया)

विशेष सचिव

Amit

बाढ से संबंधित आवश्यक औषधियों / युक्तियों की सांकेतिक सूची

Sl. No.	Name of the Drug/Medical Devices/Consumables	EDL Status	BMSICL Rate Contract Status
1	A.D. Syringe	EDL	RC
2	Adhesive Tape	EDL	RC
3	Adrenaline Injection	EDL	RC
4	Albendazole Tablet	EDL	RC
5	Alcohol Swab	EDL	Non RC
6	Amikacin Injection	EDL	RC
7	Amoxycillin+ Clavulanic Acid Oral Liquid/Tablet	EDL	RC
8	Azithromycin Tablet/Syrup	EDL	RC
9	Bandage	EDL	RC
10	Betamethasone Dipropionate Cream	EDL	RC
11	Bleaching Powder	EDL	RC
12	Cefixime Tablet/Oral Liquid	EDL	RC
13	Ceftriaxone injection	EDL	RC
14	Chloramphenicol Ointment	EDL	RC
15	Chloroquine Tablet/Oral Liquid	EDL	RC
16	Chlorpheniramin Tablet	EDL	Non RC
17	Ciprofloxacin Tablet/Injection/Drops	EDL	RC
18	Compound Sodium Lactate (Ringer Lactate) Injection	EDL	RC
19	Cotton	EDL	RC
20	Dexamethasone Tablet/Injection	EDL	Non RC
21	Dextrose + Sodium Chloride Injection	EDL	RC
22	Diclofenac Sodium Tablet/Gel/Injection	EDL	RC
23	Dicyclomine Hydrochloride Tablet/Drop/Oral Liquid/Injection	EDL	RC
24	Domperidone Tablet/Drop/Oral Liquid	EDL	Non RC
25	Dried Aluminium hydroxide+Magnesium hydroxide+activated dimethicone (Antacid) Oral Liquid	EDL	RC
26	Hydrocortisone Sodium Injection/Cream/Gel/Oint	EDL	RC
27	Ibuprofen Tablet/Oral Liquid	EDL	RC
28	Isosorbide dinitrate	EDL	RC
29	IV Canula	EDL	RC
30	IV Set (Adult, Paediatric & Micro)	EDL	RC
31	Levocetirizine Dihydrochloride Oral Liquid/Tablet	EDL	RC
32	Levo-Salbutamol Tablet	EDL	RC
33	Levofloxacin Tablet	EDL	RC
34	Metoclopramide Injection	EDL	Non RC
35	Metronidazole Tablets/Injection/Suspension	EDL	RC

No.	Name of the Drug/Medical Devices/Consumables	EDL Status	BMSICL Rate Contract Status
36	Miconazole Nitrate Cream	EDL	RC
37	Moxifloxacin Eye Drop	EDL	RC
38	Mupirocin Ointment	EDL	Non RC
39	NaDCC Tablet	EDL	RC
40	Normal Saline Nasal Drop	EDL	Non RC
41	Ofloxacin Tablet	EDL	Non RC
42	Ondansetron Tablet/Injection	EDL	RC
43	Oral Rehydration Salts (ORS)	EDL	RC
44	Pantoprazole Tablet/Injection	EDL	RC
45	Paracetamol Tablet/Injection/Oral Liquid/Drop	EDL	RC
46	Permethrin Lotion/Cream	EDL	RC
47	Pheniramine Maleate Injection	EDL	RC
48	Povidone Iodine/solution/Ointment	EDL	RC
49	Rabeprazole Sodium Tablet/Injection	EDL	RC
50	Rabies immunoglobulin Injection	EDL	RC
51	Rabies Vaccine Human (ARV) Injection	EDL	RC
52	Snake Venom Antiserum (ASVS) Lyophilized Polyvalent	EDL	RC
53	Sodium Chloride (Normal Saline) Injection	EDL	RC
54	Sodium Chloride Infusion	EDL	RC
55	Sulphadoxine+Pyrimethamine Tablet	EDL	RC
56	Surgical Gloves	EDL	RC
57	Tetanus Vaccine (Adsorbed) Injection	EDL	RC
58	Tranexamic Acid Tablet/Injection	EDL	RC
59	Water for Injection	EDL	RC
60	Zinc Sulphate Tablet/Oral Solution	EDL	RC